

प्रेस नोट, दिनांक- 04.08.2024

थाना चकिया

अवैध गांजा की तस्करी के दौरान 05 तस्कर गिरफ्तार, 10.351 किलो ग्राम अवैध गांजा व 02 मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया आशुतोष के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार द्वारा गठित टीम ने दिनांक 03.08.2024 को वनभीषमपुर तिराहा दो मोटर साइकिल से दो बोरी में कुल 05 बण्डल नाजायज गांजा (कुल 10 किलो 351 ग्राम) के साथ अभियुक्त-

1-घनश्याम राजभर पुत्र भुल्लन राय निवासी ग्राम भगरना थाना चैनपुर जिला भभुआ कैमूर बिहार

2.छोटू राय पुत्र मुल्लन राय निवासी ग्राम भालूबूढ़न थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार

3.सोनू कुमार पुत्र मुन्नीपाल सिंह निवासी ग्राम धौरी थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़

4.मो0 आरिफ पुत्र अलीहसन निवासी बेलखरा श्रीरामपुर थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर

5.हरिहर यादव पुत्र स्व0 रामचरन यादव निवासी मुजफ्फरपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को समय 21.40 बजे गिरफ्तार/बरामद किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चकिया पर मु0अ0सं0 132/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दोनो बोरी मे रखा हुआ गांजा हम लोगो का ही है जिसे हमलोग बराबर बराबर पैसा लागकर खरीदते है व बेचते है जो भी मुनाफा होता है उसे बराबर बराबर बांट लेते है ।

अभियुक्त घनश्याम व छोटू द्वारा बताया गया कि हम लोग गांजा तैयार करते है और आस पास के गावों से भी सस्ते दामो पर खरीदकर इकट्ठा करते है और बाहर की पार्टी को तैयार कर उन्हें उचें दामो पर बेचते व बेचवाते हैं अधिक लाभ कमाने व बड़े पैमाने पर खपत करने हेतु सोनू व आरिफ व हरिहर को बेचने के लिए दे देते है , सोनू कुमार ने बताया कि मैं घनश्याम से गांजा लेकर अलीगढ़ जा रहा था तो घनश्याम और छोटू राय मुझे छोड़ने के लिए मुगलसराय स्टेशन जा रहे थे। अलीगढ़ ले जाकर उसे पुडिया बनाकर ऊंचे दामो पर बेचते एवं बेचवाते है और जो फायदा होता है उसको हम लोग आपस मे बराबर बराबर बाट लेते है । तथा हम लोग बराबर बराबर पैसा लगाकर घनश्याम से गांजा खरीदकर अहरौरा जा रहे थे अहरौरा ले जाकर उसे पुडिया बनाकर ऊंचे दामो पर बेचते एवं बेचवाते है और जो फायदा होता है उसको हम लोग आपस मे बराबर बराबर बाट लेते है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- घनश्याम राजभर पुत्र भुल्लन राय निवासी ग्राम भगरना थाना चैनपुर जिला भभुआ कैमूर बिहार
- 2- छोटू राय पुत्र मुल्लन राय निवासी ग्राम भालूबूढ़न थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार
- 3- सोनू कुमार पुत्र मुन्नीपाल सिंह निवासी ग्राम धौरी थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़
- 4- मो० आरिफ पुत्र अलीहसन निवासी बेलखरा श्रीरामपुर थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर
- 5- हरिहर यादव पुत्र स्व० रामचरन यादव निवासी मुजफ्फरपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास-

1-घनश्याम राजभर पुत्र भुल्लन राय निवासी ग्राम भगरना थाना चैनपुर जिला भभुआ कैमूर बिहार-

मु0अ0सं0 063/2020 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

मु.अ.सं. 132/2024 धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2-छोटू राय पुत्र मुल्लन राय निवासी ग्राम भालूबूढ़न थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार-

मु.अ.सं. 132/2024 धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

सोनू कुमार पुत्र मुन्नीपाल सिंह निवासी ग्राम धौरी थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ -

मु.अ.सं. 132/2024 धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

3-मो0 आरिफ पुत्र अलीहसन निवासी बेलखरा श्रीरामपुर थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर -

मु.अ.सं. 132/2024 धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

4-हरिहर यादव पुत्र स्व0 रामचरन यादव निवासी मुजफ्फरपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली-

मु.अ.सं. 132/2024 धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

10 किलो 351 ग्राम नाजायज गांजा

दो मोटर साइकिल

रजि.नं. क्रमशः UP63AA8813 बजाज डिस्कवर

व UP63AU6536 स्प्लेण्डर प्लस

चार मोबाइल- REALME-2, OPPO, VIVO

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

थानाध्यक्ष श्री अतुल कुमार प्रजापति थाना चकिया जनपद चन्दौली।

उ०नि० अभिनव गुप्ता थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

हे०का० दीपचन्द्र गिरी थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

का० प्रदीप यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

का० रामकेश पाल थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

का० सविनय सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

का० रविन्द्र कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।